न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 409/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– पूंजाराम पुत्र गुमानाराम 2– माणकराम पुत्र गुमानाराम 3– घेवरराम पुत्र भूराराम 4– कस्तुराराम पुत्र भूराराम 5– दलाराम पुत्र कोलाराम 6– जवारोदेवी पत्नी कोलाराम जातियान सुथार निवासीगण ग्राम रावलगढ (बेलवा) तहसील बालेसर 7– खंगारसिह पुत्र मेहराजसिह 8– पप्पूसिह पुत्र भंवरसिह 9– डुंगरसिह पुत्र उदयसिह 10–प्रेमकंवर पत्नी पदमसिह जातियान राजपूत निवासीगण रावलगढ (बेलवा) तहसील बालेसर 11– जसाराम पुत्र भीयाराम 12– पदमाराम पुत्र भीयाराम 13– स्वरूपाराम पुत्र भीयाराम 14– इन्द्राराम पुत्र भीयाराम 15– धन्नाराम पुत्र टीकूराम जातियान सुथार निवासीगण ग्राम रावलगढ (बेलवा) तहसील बालेसर जिला जोधपुर 16– पदमसिह पुत्र अमानसिह 17– अणदसिह पुत्र अमानसिह 18– भगवानसिह पुत्र पन्नेसिह 19– नखतसिह पुत्र जेठुसिह 20– मानसिह पुत्र जेठुसिह 21– नारायणसिह पुत्र आमसिह 22– स्वरूपकंवर पत्नि आमसिह 23– उगमसिह पुत्र खुमाणसिह 24– सुमेरसिह पुत्र खुमाणसिह 25– वीजूकंवर पत्नी खुमाणसिह 26– विशालसिह पुत्र खीवसिह 27– हीरसिह पुत्र खींवसिह 28– सज्जनकंवर पत्नी खींवसिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रावलगढ (बेलवा) तहसील बालेसर जिला जोधपुर		1– अर्जुनसिह पुत्र जुगतसिह 2– उम्मेदसिह पुत्र जुगतसिह 3– दौलतसिह पुत्र जुगतसिह 4– सुमेरसिह पुत्र जुगतसिह 5– खमाकंवर पत्नी जुगतसिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रावलगढ तहसील बालेसर, जिला जोधपुर 6– खेंगारराम पुत्र भीयाराम 7– प्रभूराम पुत्र भीयाराम जातियान सुथार निवासी ग्राम रावलगढ (बेलवा) तहसील बालेसर, जिला जोधपुर 8– जसवंतसिह पुत्र पन्नेसिह 9– सोभागसिह पुत्र आमसिह 10–गोपालसिह पुत्र आमसिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रावलगढ (बेलवा) तहसील बालेसर जिला जोधपुर 11– जसुकंवर पत्नी मूलसिह जाति राजपूत निवासी लवारण तहसील बालेसर जिला जोधपुर 12–उस्सूकंवर पत्नी फतेहसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिबना तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 13– रावलकंवर पत्नी दलपतसिह जाति राजपूत निवासी नाहरसिह नगर (तेना) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 14– समदादेवी पत्नी हडमानराम जाति सुथार निवासी खडाला तहसील लूनी जिला जोधपुर 15–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बालेसर जो कमांक/राजस्व/2018/166 दिनांक 23–4–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नाहर सिह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पुष्पेन्द्र सिह भाटी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 14 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 15—3—2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10—8—2016 एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प.3 (2) राज—6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10—8—16 के अनुसरण मे एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण अभियान 2016 के तहत चालू सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करवाने हेतु तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रेषित सूची अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने अपने आदेश कमांक राजस्व/2018/166 दिनांक 23—4—2018 के द्वारा पटवार मण्डल बेलवा के राजस्व ग्राम रावलगढ के खसरा नंबरान 1855, 1996, 1995, 1994, 1991, 1993, 1992 एवं 1983 कुल 8 खसरान की कमशः 0.09, 0.06, 0.05, 0.11, 0.04, 0.02, 0.05, 0.07 भूमि राजस्व रेकर्ड मे रास्ते हुए राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करने संबंधी आदेश पारित किया गया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलांटगण ने धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वर्णित 8 खसरान की कमशः 0.09, 0.06, 0.05, 0.11, 0.04, 0.02, 0.05, 0.07 जिसका कुल रकबा 2.09 बीघा होता है परंतु अपीलाधीन आदेश मे कुल रकबा 2.04 बीघा का उल्लेख करते हुए पारित किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना खातेदारान की सहमति एवं उन्हे सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना मौके की रिपोर्ट तलब किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23—4—2018 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना मौका जांच करवाये पारित किया गया है इसके अलावा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे उल्लेखित 8 खसरा नंबरान की कुल भूमि 2.04 बीघा का उल्लेख किया है जबकि प्रत्येक खसरा नंबर मे से गै.मु.रास्ते के लिए ली गई भूमि का रकबे का योग करने पर 2.09 बीघा होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय

त्रुटिपूर्ण होने से उसे निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने बाबत सहमति प्रकट की है ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश मे वर्णित रकबे की जांच कर उसे त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का अनुरोध किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23–4–2018 का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांक प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10–8–16 के अनुसरण मे एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित रास्ते संबंधी समस्याओ के निराकरण अभियान 2016 के तहत चालू सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करवाने हेतु तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने अपने आदेश कमांक राजस्व/2018/166 दिनांक 23–4–2018 के द्वारा पटवार मण्डल बेलवा के राजस्व ग्राम रावलगढ के खसरा नंबरान 1855, 1996, 1995. 1994, 1991, 1993, 1992 एवं 1983 कुल 8 खसरान की कमशः 0.09, 0.06, 0.05, 0.11, 0.04, 0.02, 0.05, 0.07 भूमि राजस्व रेकर्ड मे रास्ते हुए राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस मे दुरस्ती करने संबंधी आदेश पारित किया गया तथा उक्त अपीलाधीन आदेश मे प्रभावित होने वाले खसरो का कुल रकबा 2.04 बीघा का उल्लेख किया गया है जबकि आदेश मे उल्लेखित प्रभावित खसरा नंबरान के रकबे का योग करने पर 2.09 बीघा होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे उल्लेखित कुल रकबा 2.04 त्रुटिपूर्ण है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मौका फर्द किसी खातेदारान/पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार नही किया जाना रेकर्ड से प्रकट नही होता है और न ही अधीनस्थ न्यायालय मे ऐसा कोई दस्तावेज/नोटिस आदि उपलब्ध है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खातेदारान को सूचित किया गया हो, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

वर्तमान अपील के रेस्पो0गण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिना खातेदारान की सुनवाई एवं मौका जांच करवाये पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मे कुल रकबे की गणना करने से 2.04 बीघा के स्थान पर 2.09 बीघा होती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से उसे निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु

प्रकरण को रिमाण्ड करने का अनुरोध किया है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23-4-2018 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस अपील के उभय पक्षकारान एवं अपीलाधीन भूमि के अन्य हितबद्ध खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 15-3-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर